भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय
राज्य सभा
अंतारांकित प्रश्न संख्या. 1796
(जिसका उत्तर मंगलवार, 19 दिसंबर, 2023 को दिया गया)

त्वरित कारपोरेट समापन प्रसंस्करण केंद्र की स्थिति

1796 श्री एस. निरंजन रेड्डी:

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या त्वरित कारपोरेट समापन प्रसंस्करण केन्द्र (सी-पेस) की स्थापना की गई है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) सी-पेस के प्रारंभ से अब तक इसके भाग के रूप में कितने मामलों का समाधान किया गया है; और
(घ) सरकार द्वारा पंजीकरण, अनुपालन और अन्य विनियामक कार्रवाई में कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन अधिगम को किस प्रकार से शामिल किया जा रहा है?

उत्तर

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री

(राव इंद्रजीत सिंह)

(क) से (ग): कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 248 (2) के प्रावधानों के अंतर्गत स्वैच्छिक समापन के लिए फाइल किए गए आवेदनों को सुविधाजनक बनाने और उनमें तेजी लाने के लिए दिनांक 01.05.2023 से त्वरित कारपोरेट समापन प्रसंस्करण केंद्र (सी-पेस) की स्थापना की गई है और इसका प्रचालन किया गया है। सी-पेस के अंतर्गत स्वैच्छिक समापन के आवेदनों पर एक कुशल और समान परिणाम के लिए केन्द्रीकृत तरीके से कार्रवाई की जा रही है। सी-पेस की स्थापना के बाद से, अधिनियम की धारा 248 (2) के तहत 12.12.2023 तक 8306 कंपनियों को समाप्त कर दिया गया है।

कंपनियों के लिए आसान समापन प्रक्रिया सुनिश्चित करने और व्यापार करने में आसानी में सुधार करने के लिए, वित्त मंत्री के बजट भाषण (2022-23) के पैरा 77 में कल्पना की गई थी कि सी-पेस के माध्यम से, कंपनियों को समाप्त करने के लिए आवेदन की प्रक्रिया में लगने वाले समय को 2 साल से घटाकर 6 महीने से कम कर दिया जाएगा। सी-पेस के अंतर्गत स्वैच्छिक समापन में लगने वाला समय चालू वर्ष के दौरान घटकर लगभग 110 दिन रह गया है।

(घ): मंत्रालय के एमसीए21 संस्करण 3 में नाम आरक्षण, हेल्पडेस्क समाधान, ई-परामर्श मॉड्यूल, सुरक्षा और खतरा प्रबंधन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग (एआई/एमएल) की क्षमताओं का उपयोग करने की परिकल्पना की गई है।

*****